प्रेस विज्ञप्ति

जनपद-संतकबीरनगर

दिनांक 10.07.2025

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी के मामले मे वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना मेंहदावल ***श्री सतीश कुमार सिंह*** के नेतृत्व में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा मु0अ0स0 277/2025 धारा 303(2),317(2) बीएनएस में वाँछित अभियुक्त राममिलन पुत्र स्व0 जगदीश निषाद निवासी नई बाजार थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त द्वारा दिनांक 03/04.07.2025 की रात्रि में वादी की भैंस को चुराकर 70,000 रुपये में बेच दिया गया था, जिसमें से अभियुक्त की निशानदेही पर नगद 50,000 रु0 बरामद किए गए तथा अभियुक्त को मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनाँक 09.07.2025 को वादिनी शकीना खातुन पत्नी अली अहमद निवासी चौफेड़ा (बहलोलिया) थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना मेंहदावल पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 03.07.2025 को वादिनी की भैंस चुरा लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 277/2025 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियोग उरोक्त में धार 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

***पूछताछ विवरण*-** पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि मैने दिनांक 03/04.07.2025 की रात्रि में भैंस चोरी किया था और भैंस को पशु बाजार जुबैर गंज (फैजाबाद) में 70,000 रु0 में बेच दिया था। भैंस को ले जाने व आने में कुछ रुपये खर्च हो गये थे तथा उसमें से 50,000 रुपया मेरे पास बचा था जो आप लोग बरामद कर लिये है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

राममिलन पुत्र स्व0 जगदीश निषाद निवासी नई बाजार थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरणः-

01. कुल 50,000रु0 नकद।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-

उ0नि0 श्री रामाश्रय प्रसाद, हे0का0 मोतीलाल, का0 अनुराग सिंह, का0 विरेन्द्र कुमार।

दबिश के दौरान 04 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम मेः-

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता राजू उर्फ खन्ना पुत्र छोटक निवासी धर्मसिंहवा थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव, का0 ओमवीर सिंह।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 03 नफर वारण्टी नाम पता 1.रामचरन पुत्र टीमल ग्राम भैंसाखूट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर 2.सवारे पुत्र सुखदेव 3.विक्रमा पुत्र चन्दा साकिनान डुहिया खुर्द थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अनिल कुमार यादव, हे0का0 आनन्द दुबे, हे0का0 प्रमोद कुमार राय, का0 आशुतोष पाण्डेय।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1490 द्वारा रास्ते में घायल पड़े 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 1490 को थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत रुपिन तिराहा से कालर द्वारा रास्ते में घायल पड़े 01 व्यक्ति (1. सुभाषचन्द्र माझी पुत्र महाबली ग्राम आलापुर बिड़हरघाट थाना जहाँगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेन्स की सहायता से सी0एच0सी0 मलौली भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल को ईलाज हेतु सी0एच0सी0 मलौली भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

***पीआरवी स्टाफ-* मु0आ0 संजय पाल, आ0 हरिशंकर शाह, हो0चा0 राजेश कुमार।**

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 06 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 160 वाहनों से 2,45,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 10.07.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 160 वाहनों से 2,45,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में वांछित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त 01 अदद ब्लेड कागज कवर के साथ किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष दुधारा ***श्री इन्द्रभूषण सिंह*** के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 245/2025 धारा 109(1), 115(2), 351(3), 352 बीएनएस मे वांछित अभियुक्त नाम पता अभिमन्यु यादव पुत्र रामनरेश निवासी रसूलपुर थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को घटना में प्रयुक्त 01 अदद ब्लेड कागज कवर के साथ आज दिनाँक 10.07.2025 को बढ़या बाग मोड़ से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी रामनरेश यादव पुत्र स्व0 मुनेसर यादव निवासी रसूलपुर थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना दुधारा पर उक्त अभियुक्त व अभियुक्त के पुत्र द्वारा वादी के पौत्र को गाली व धमकी देते हुए जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से गर्दन पर हमला कर देने के सम्बन्ध मे प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत करवाया गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना दुधारा पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त 01 अदद ब्लेड कागज कवर के साथ आज दिनाँक 10.07.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

अभियुक्त नाम पता- रामनरेश यादव पुत्र स्व0 मुनेसर यादव निवासी रसूलपुर थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरणः- घटना में प्रयुक्त 01 अदद ब्लेड कागज कवर के साथ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रामकुशल सिंह, हे0का0 राजेश कुमार, का0 हेमन्त कुशवाहा, का0 सरवन कुमार यादव।